HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 9850/2026
CNR: RJHC020468352026 | URN: CW / 21968U / 2026

Vishnu Mishra Son Of Late Shri Dinesh Mishra

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Umesh Vyas
For Respondent(s) : Mr. R.S. Shekhawat, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/07/2026

याचिकाकार/परिवादी की ओर से यह रिट याचिका महानिदेशक–जेल राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.8.2023, जिसके द्वारा अयाची संख्या–10 कालू उर्फ महेन्द्र को नियमित कारागार से खुला बन्दी शिविर में भेजे जाने का आदेश दिया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

विद्वन अधिवक्ता याचिकाकार का तर्क है कि याचिकाकार/परिवादी ने अयाची संख्या–10 के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करवाई गई थी। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अयाची संख्या–10 को उक्त अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। उसके बाद जेल अधिकारियों ने उसे हनुमानगढ़ स्थित खुली जेल में रखने का आदेश दिया तथा फिर वहां से उसे सांगानेर–जयपुर स्थित खुली जेल में स्थानांतरित किया गया। उनका कहना है कि अयाची संख्या–10 ने Municipal Limit से परे सिकराय, जिला दौसा जाकर परिवादी को धमकी दी, जिसकी शिकायत भी परिवादी/याचिकाकार द्वारा की गई। इस शिकायत के सम्बन्ध में की गई जांच के उपरांत परिवादी की शिकायत सही पाई गई तथा सम्बन्धित अधिकारियों को धारा 17 सी.सी.ए. के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। उनका तर्क है कि अयाची संख्या–10 को खुला बन्दी शिविर में भेजे जाने का

आलौच्य दिनांक 24.8.2023 ही अविधिपूर्ण था क्योंकि तत्समय अयाची संख्या–10 अविवाहित था तथा जिस दिनांक को यह आलौच्य आदेश पारित किया गया, तब तक अयाची संख्या–10 द्वारा उसे दी गई सजा की 1/3 अवधि भी पूर्ण नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम (The Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972) के नियम 3 व 4 का उल्लंघन हुआ है तथा अयाची संख्या–10 को खुला बन्दी शिविर से नियमित कारागार में नहीं भिजवाया गया है।

सुना गया। आदेशिका शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर अयाचीगण को नोटिस आगामी **तीन सप्ताह में** वापसी योग्य जारी हो।

अयाची संख्या–1 से 9 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक नोटिस स्वीकार करते है, अतः अयाची संख्या–1 से 9 को औपचारिक नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें याचिका की प्रति प्रदान की जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

6/JITENDRA SINGH PANWAR